(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2862–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–6–2016 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 157/अ–12/2015–16.

.....

बृजमोहन आ0 श्री रामफूल
निवासी पुराछिन्दवाडा तहसील हुजूर
जिला भोपाल

..... आवेदक

विरूद्ध

परमानंद आ0श्री रामफूल
निवासी पुराछिन्दवाडा तहसील हुजूर
जिला भोपाल ..... अनावेदक

.....

श्री सी0एम0विश्वकर्मा , अभिभाषक– आवेदक
श्री राजेन्द्र वर्मा, अभिभाषक– अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/1/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–6–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम तारा सेवनिया तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि सर्वे कमांक 96/1/1 रकबा 4.858 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 157/अ–12/2015–16 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर

दिनांक 23–6–2016 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) उभयपक्ष के मध्य भूमि का बटवारा होने पर राजस्व नक्शा मौके के विपरीत तैयार किया गया है और बटवारे के समय से ही उभयपक्ष अपनी अपनी भूमि पर काबिज है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किये जाने से आवेदक के कब्जे की भूमि प्रभावित हो रही है ।

(2) अनावेदक द्वारा आवेदक की भूमि हडपने के उद्देश्य से सीमांकन कराया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा इस तथ्य को जानते हुये कि बटांन सर्वे नम्बर 96/1 में डाली गई जो कि विवादित है और जिसके विरूद्ध अपील विचाराधीन है, इसके बावजूद भी सीमांकन करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(4) यह स्वीकृत तथ्य है कि ट्यूबबैल आवेदक का है, इसके बावजूद भी सीमांकन में आवेदक का अवैध कब्जा बताने में राजस्व निरीक्षक द्वारा त्रुटि की गई है ।

(5) राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है ।

(6) जब दिनांक 14–6–16 को सीमांकन किया जा रहा था तब आवेदक द्वारा पहुचकर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी एवं विवाद हुआ था । इसके बावजूद सीमांकन में आवेदक को मौके पर आने ही नहीं दिया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् नियम व प्रकिया का पालन करते हुये सीमांकन किया गया है एवं सीमांकन में आवेदक को विधिवत् सूचना भी दी गई है।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नियम के विपरीत तीन माह से अधिक अवधि के लिये स्थगन दिया

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 20/अपील/15–16 में बटांन के कियान्वयन पर आदेश जारी किया गया था, जबकि बटांन दिनांक 20–10–15 को ही हो चुका था । ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन विधिवत् है ।

(4) राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये सीमांकन की पुष्टि की गई है।

(5) आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय के जिस आदेश का उल्लेख किया गया है उसमें सीमांकन को चुनौती नहीं दी गई है ।

(6) राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् पड़ोसी कृषकों को सूचना देकर स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सीमांकन पर राजस्व निरीक्षक के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई है, परन्तु उनके द्वारा आवेदक की आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया है, जबकि राजस्व निरीक्षक का यह विधिक दायित्व था कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्ति को विधिवत् निराकरण हेतु प्रकरण तहसीलदार को भेजते, परन्तु उनके द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिये राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–6–2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आपत्ति का विधिवत् निराकरण कर सीमांकन पर निर्णय लें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर